दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/01 दिनांक: 14.07.2022

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 181/2022

विषय:- Indian Railways Assistant Electrical Engineer (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 2019.

विषयवस्तु पर प्रकाशित **भारत का राजपत्र** क्रमांक **138,** रेल मंत्रालय की अधिसूचना [F.No.2016/E(G)RR/15/2/Electrical] दिनांक: **19.02.2019** की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

14.7.22
(अशोक कुमार शर्मा)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/फाल्गुन 7, 1940
No. 138] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/PHALGUNA 7, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 154(अ).—राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी विभाग, समूह "ख" के पदों के भर्ती नियम,1979 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले की उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, को छोड़कर भारतीय रेल के बिजली इंजीनियरी विभाग में सहायक बिजली इंजीनियर के समूह 'ख' राजपत्रित पदों की भर्ती की पद्धति को विनयमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल सहायक बिजली इंजीनियर (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 है।

   (ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.—**कोई भी व्यक्ति,—

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक बिजली इंजीनियर	260*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-8 (रु.47,600-1,51,100)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	**प्रोन्नति द्वारा:** 70% चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा और 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** (क) 70% रिक्तियां बिजली इंजीनियरी विभाग के अननुसचिवीय समूह 'ग' कर्मचारियों जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, द्वारा चयन के माध्यम से प्रोन्नति (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा एवं सेवा के अभिलेख का निर्धारण शामिल होगा) द्वारा भरी जाएंगी।

			टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ख) 30% रिक्तियां बिजली इंजीनियरी विभाग के सभी अननुसचिवीय समूह 'ग' कर्मचारियों जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा एवं सेवा के अभिलेख का निर्धारण शामिल होगा) द्वारा भरी जाएंगी.

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर अथवा मुख्य बिजली इंजीनियर – अध्यक्ष; 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अथवा मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य; 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 अथवा 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग के अलावा) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर अधिकारी – सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नही है।

[फा. सं. 2016/ई(जी)आरआर/15/2/इलेक्ट्रिकल]

डॉ. आनंद सिंह खाटी, प्रधान कार्यपालक निदेशक स्था. (राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways Department of Electrical Engineering, Group 'B' posts Recruitment Rules, 1979 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Gazetted post of Assistant Electrical Engineer in the Electrical Engineering Department of the Indian Railways, namely :-

1. **Short title and commencement. (1)** These rules may be called the Indian Railways Assistant Electrical Engineer (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. –** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, –

   a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Electrical Engineer	260* (2019) * Subject to variation dependent on workload	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non–Ministeria.	Level-8 (Rs. 47,600-1,51,100)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	**By promotion:** 70% by promotion through selection and 30% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination	**Promotion:** (a) 70% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a written test, viva-voce and assessment of record of service) of the non-ministerial Group 'C' staff of the Electrical Engineering Department holding the post in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix with three years regular service in level 6 and above in the pay matrix. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (b) 30% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive Examination (which shall include a written test, viva-voce and assessment of record of service) open to all non-ministerial Group 'C' staff of the Electrical Engineering Department holding the post in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix with five years regular service in level 6 and above in the pay matrix.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Principal Chief Electrical Engineer or Chief Electrical Engineer – Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer – Member; 3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway/ Production Unit – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. 2016/E(G)RR/15/2/Electrical]

Dr. ANAND SINGH KHATI, Principal Executive Director, Estt. (Gazetted Cadre)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.26 22:37:37 +05'30'